

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलेक्टर, टोंक

प्रकरण संख्या

42 / 2022

श्री इन्द्रजीत सिंह प्लॉट नम्बर 12, लाजवन्ती भवन सिविल लाईन टोंक
--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी स्थापना शाखा कलेक्ट्रेट टोंक

--प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक 08.12.2022

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति० कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 12.09.2022 को प्रेषित/प्रस्तुत करने पर राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलेक्टर टोंक ने उनके पत्र क्रमांक 858 दिनांक 15.09.2022 से लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी स्थापना शाखा कलेक्ट्रेट टोंक को अन्तरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया। अपीलान्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गई:-

जिला कलेक्टर टोंक को जरिये रजि. डाक प्रेषित परिवाद दिनांक 30.07.2022 जिसकी प्रति पुनः संलग्न है पर की गई कार्यवाही की जानकारी सूचना के अधिकार तहत देवे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा०पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी स्थापना शाखा कलेक्ट्रेट टोंक को पत्र क्रमांक 1561 दिनांक 7.11.2022, 1597 दिनांक 14.11.2022 व 1651 दिनांक 28.11.2022 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए। लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी स्थापना शाखा कलेक्ट्रेट टोंक ने उनके पत्र क्रमांक एफ1(1478)स्था. /आरटीआई/2022/5777 दिनांक 30.11.2022 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में अपीलार्थी को उनके पत्र क्रमांक 5615 दिनांक 21.11.2022 से सूचना के संबंध में सूचित किया जा चुका है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी स्थापना शाखा कलेक्ट्रेट टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।



(चिन्मयी गोपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
जिला कलेक्टर
एवं जिला कलेक्टर टोंक

